अनुस्मारक द्वितीय

संख्या 150 54/–1–2013/14(16)/2013

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर) उ0प्र0।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2013,

विषयः–आई0डब्लू0एम0पी0 परियोजनाओं के प्रोजेक्ट फण्ड की धनराशि का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 04/54–1–12/14(16) 2013 दिनांक 02.01.2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आईडब्लूएमपी परियोजनाओं के फण्ड की धनराशि का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में ही इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) के लिए डब्लूसीडीसी पर परियोजनावार खोले गये खातों के आई0एफ0सी0 कोड की सूचना भी निर्धारित प्रारूप पर मॉगी गयी तथा इस संबंध में अनुस्मारक शासनादेश सं0 30/54–1–2013/14(16)/2013 दिनांक 18.01.2013 भी प्रेषित किया गया था।

जनपदों में डब्लूसीडीसी पर खोले गये खातों के संबंध में जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उसमें निम्न कमियॉ सामने आयी है जिस कारण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

1. भारत सरकार के निर्देशानुसार डब्लूसीडीसी एवं पीआईए स्तर पर अलग–अलग खाते खोले जाने हैं कतिपय जनपदों यथा **बस्ती, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, लखनऊ एवं हाथरस में अभी तक डब्लूसीडीसी स्तर पर परियोजनावार खातें नहीं खोले गये हैं।** इन जनपदों में डब्लूसीडीसी स्तर पर एक ही खाता खोला गया है जिसमें जनपद में संचालित समस्त परियोजनाओं की धनराशि रखी गयी है, जो वित्तीय अनियमितता है। अतः तत्काल समस्त जनपदों में डब्लूसीडीसी/पीआईए स्तर परियोजनावार खाते खुलवाना सुनिश्चित किया जाय जिससे प्रोजेक्ट फण्ड का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) के माध्यम से किया जाय।
2. डब्लूसीडीसी पर जो खाते खोले गये हैं वो भिन्न–भिन्न नामो से खोले गये हैं जैसे–डीआरडीए खाता, डब्लूसीडीसी खाता तथा प्रोजेक्ट फण्ड खाता आदि। डब्लूसीडीसी पर खोले जाने वाले समस्त खातों में एकरूपता लाने के लिए डब्लूसीडीसी पर खुलने वाले खातों को आईडब्लूएमपी परियोजना प्रथम–द्वितीय आदि नाम से खोला जाय।